भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1620

दिनांक 10.02.2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत अभियान

†1620. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

श्री देवेश शाक्यः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री आलोक शर्माः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्री मनीष जायसवालः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

श्री अनन्त नायकः

श्री अनूप संजय धोत्रेः

डॉ. भोला सिंहः

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

श्री नीरज मौर्यः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्री राहुल सिंह लोधीः

श्री बंटी विवेक साहूः

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

श्री विभु प्रसाद तराई

श्री तापिर गाव

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत उच्च निष्पादन वाली 1,000 पंचायतों की पहचान करने, बेंचमार्किंग करने और उनकी राज्य-वार समीक्षा करने के लिए क्या मानदंड और कार्यप्रणाली अपनाई गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में राज्य-वार और जिला-वार कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है;
(ग) पंचायतों की रैंकिंग और उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यवार और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से एटा, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर और आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) एटा, कासगंज, दाहोल और शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत चयनित पंचायतों को प्रदान की जा रही वित्तीय, तकनीकी और विशेष सहायता सहित चयनित पंचायतों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों, मान्यता या अन्य सहायता का राज्य-वार और जिला-बार ब्यौरा क्या है;
(ङ) उक्त पहल के माध्यम से अब तक पोषण स्तर, आंगनवाड़ी सेवाओं और अवसंरचना के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सूचकांकों में दर्ज किए गए, मापने योग्य सुधारों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-बार क्या हैं;
(च) क्या सरकार का कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में उच्च निष्पादन करने वाली पंचायतों की सर्वोत्तम पद्धतियों को दोहराने और उनका विस्तार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या कोई राज्यवार और जिलावार विश्लेषण किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और
(ज) क्या इस पहल के अंतर्गत बुलंदशहर जिले की किन्हीं ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है अथवा उन्हें बेंचमार्क किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह**)**

(क) से (ज): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर, 2024 को किया गया था, जिसका उद्देश्य कुपोषण-मुक्त भारत की दिशा में प्रगति को तीव्र करना है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों का नामांकन किया गया, जो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल ग्राम पंचायतों के अधिकतम 10% की सीमा के अधीन है।

नामांकन हेतु पात्रता संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं:

(i) पिछले तिमाही के दौरान प्रति माह कम से कम 21 दिनों तक आंगनवाड़ी केंद्रों का क्रियाशील होना;

(ii) प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी श्रेणियों(गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0-6 आयु के बच्चे) को मिलाकर न्यूनतम 50 पंजीकृत लाभार्थी होना

(iii) कम से कम 80% आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होना;

(iv) कम से कम 70% आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना;

(v) ग्राम पंचायत के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में कम से कम90% विकास मापन दक्षता होना ।

सुपोषित ग्राम पंचायत प्रोत्साहन के तहत शीर्ष 1000 पात्र ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है, ताकि प्रोत्साहन राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सके:

(i) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को 25%।

(ii) सामुदायिक संगठन और आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत को 25%।

(iii) आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण से जुड़ी गतिविधियों के लिए 50%, जिसमें पोषण वाटिका का विकास, पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) में मूल्यवर्धन आदि शामिल है।

सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के दिशानिर्देशों के तहत मूल्यांकन फ्रेमवर्क परिणाम-उन्मुख और डेटा-आधारित है, जिसमें पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में संकेतकों का उपयोग किया जाता है। मापनीय सुधारों के आकलन हेतु मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण(एसएएम), मध्यम तीव्र कुपोषण(एमएएम), गंभीर बौनापन और गंभीर रूप से कम वजन में कमी;

(ii) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार।

(iii) गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पूरक पोषण कवरेज में नियमितता में वृद्धि;

(iv) आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यावहारिक शौचालय, पेयजल और बिजली सहित बेहतर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता;

(v) आंगनवाड़ी लाभार्थियों की लंबाई और वजन मापने की उन्नत दक्षता।

पुरस्कारों हेतु दिशा-निर्देश विस्तृत कार्यप्रणाली के साथ जारी किए गए थे, ताकि कुपोषण में कमी लाने के लिए

सराहनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का महत्व केवल उपलब्धियों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कुपोषण के विरुद्ध संघर्ष में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समुदायों को स्थायी प्रथाओं एवं नवाचारी उपायों को अपनाने हेतु प्रेरित करने वाला एक सशक्त परिवर्तनकारी माध्यम है।

निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार तय की गई उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली तथा जिनकी जानकारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पोषण ट्रैकर पर रिपोर्ट की गई है, ऐसी ग्राम पंचायतें इस अभियान के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने की पात्र हैं। उक्त पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

विस्तृत दिशा-निर्देश निम्न पर उपलब्ध हैं:https://wcd.gov.in/documents/uploaded/1735534720_aP3UWRtx9R.pdf.

***